न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–
डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
45/2023/प्रा.पत्र/2023	14.06.2023	01.09.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री श्याम सुन्दर जैन पुत्र श्री अमोलक चन्द जैन निवासी मेहन्दी बाग मालियों की गली टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रेमचन्द प्रवीण कुमार घण्टाघर, सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक
2–मैसर्स प्रेमचन्द प्रवीण कुमार घण्टाघर, सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक
3–श्री गोविन्द नारायण गर्ग पुत्र श्री लादूराम गर्ग निवासी जैन मन्दिर के सामने, रघुनाथपुरी बडा तख्ता टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स रामपाल गोविन्द नारायण, शेर अली खां की गली, बडा कुंआ टोंक
4–मैसर्स रामपाल गोविन्द नारायण, शेर अली खां की गली, बडा कुंआ टोंक
5–श्री धीरज कुमार यादव पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद यादव निवासी जी.डी. हाउस खण्डेलवाल धर्मशाला के पीछे सिविल लाईन अलवर राज. पार्टनर मैसर्स ओ.डी. फूड प्रोडक्ट्स खण्डेलवाल टेलिकॉम, टॉउन हॉल के सामने, चर्च के पास अलवर राज.
6–श्री रामबाबू सेठी पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद सेठी निवासी 10/366, स्कीम नं. 2, गली नं. 2, जुबली बास अलवर राज. पार्टनर मैसर्स ओ.डी. फूड प्रोडक्ट्स खण्डेलवाल टेलिकॉम, टॉउन हॉल के सामने, चर्च के पास अलवर राज.
7–श्री महावीर कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल गुप्ता निवासी 117 पटेलों को मोहल्ला, भुगोर अलवर राज. पार्टनर मैसर्स ओ.डी. फूड प्रोडक्ट्स खण्डेलवाल टेलिकॉम, टॉउन हॉल के सामने, चर्च के पास अलवर राज.
8–मैसर्स ओ.डी. फूड प्रोडक्ट्स खण्डेलवाल टेलिकॉम, टॉउन हॉल के सामने, चर्च के पास अलवर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थीगण की ओर से श्री गोविन्द नारायण गर्ग उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 04.09.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.12.2022 को समय 12:40 पीएम पर मैसर्स प्रेमचन्द प्रवीण कुमार घण्टाघर, सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री श्याम सुन्दर जैन पुत्र श्री अमोलक चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री श्याम सुन्दर जैन ने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 40 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 ग्राम पैक **लाल मिर्च पावडर (बॉस ब्राण्ड)** रखे हुए थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री श्याम सुन्दर जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री श्याम सुन्दर जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **लाल मिर्च पावडर (बॉस ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर जेपीरु/09/20/जीएस/वी एवं पैकिंग की दिनांक नवम्बर 2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के चार मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **लाल मिर्च पावडर (बॉस ब्राण्ड)** के 4 पैकेट के एक–एक पैक वाले चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3377, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3377 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्याम सुन्दर जैन पुत्र श्री अमोलक चन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स रामपाल गोविन्द नारायण, शेर अली खां की गली, बडा कुंआ टोंक का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जिससे आवेदक द्वारा सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स ओ.डी. फूड प्रोडक्ट्स खण्डेलवाल टेलिकॉम, टॉउन हॉल के सामने, चर्च के पास अलवर राज. का बिल पेश कर मैसर्स ओ. डी. को उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/665 दिनांक 27.12.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

/3493/एक्ट/2022/3548 दिनांक 19.12.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **लाल मिर्च पावडर (बॉस ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री गोविन्द नारायण गर्ग उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है। मात्र इसके लेबल पर Use By/Expiry अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **लाल मिर्च पावडर (बॉस ब्राण्ड)** विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **लाल मिर्च पावडर (बॉस ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 40,000/– (अक्षरे चालीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.09.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सुरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0